न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 29/2022

1. सुधा पत्नी प्रभुदास जाति हरिजन निवासी नई नेहरू नगर हरिजन कॉलोनी कॉलेज रोड ब्यावर जिला अजमेर।
2. वरूण सांगेला पुत्र प्रभुदास जाति हरिजन निवासी तबीजी हाउस गली नंबर 3, शिव मंदिर के पास, ब्यावर जिला अजमेर।
3. मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति हरिजन निवासी 124 आरसी चर्च की गली, परबतपुरा अजमेर, जिला अजमेर।
4. संतोष सांगेला पुत्र मदन सांगेला जाति हरिजन निवासी नेहरू नगर, हरिजन कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर।
5. सर्वेश्वर सांगेला पुत्र अशोक जाति हरिजन निवासी ग्राम दोरांई तहसील अजमेर जिला अजमेर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. बुधा पुत्र हजारीमल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट

2. राकेश सांगेला पुत्र मदन सांगेला जाति हरिजन निवासी परबतपुरा चर्च के पास तहसील व जिला अजमेर।
3. जमना पत्नी मोती जाति हरिजन निवासी दोराई तहसील व जिला अजमेर
4. नामालूम पुत्र अशोक सांगेला जाति हरिजन निवासी ग्राम दोराई तहसील व जिला अजमेर।
5. सुमित पुत्र अशोक सांगेला जाति हरिजन निवासी ग्राम दोराई तहसील व जिला अजमेर।
6. करण पुत्र अशोक सांगेला जाति हरिजन निवासी ग्राम दोराई तहसील व जिला अजमेर।
7. नेहा पुत्री अशोक सांगेला जाति हरिजन निवासी ग्राम दोराई तहसील व जिला अजमेर।
8. सुशीला पुत्री मोती जाति हरिजन निवासी तहसील व जिला नीमच मध्यप्रदेश
9. मंगल पुत्र मोती जाति हरिजन निवासी ग्राम दोराई तहसील व जिला अजमेर
10. बाबू पुत्र खूबा जाति हरिजन निवासी ग्राम दोराई तहसील व जिला अजमेर
11. पप्पू पुत्र रामदेव जाति हरिजन निवासी सर्वेश्वर कॉलोनी, देवनगर रोड पुष्कर जिला अजमेर (मृतक)
12. जानकी पत्नी मदन जाति हरिजन निवासी नेहरू नगर, हरिजन कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर
13. सुरजा पुत्र मदन जाति हरिजन निवासी नेहरू नगर, हरिजन कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

14. द्वारकाप्रसाद पुत्र ओमप्रकाश जाति हरिजन निवासी नेहरू नगर, हरिजन कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर
15. मदालसा पुत्री ओमप्रकाश जाति हरिजन निवासी नेहरू नगर, हरिजन कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर
16. राजू पुत्र टीपू जाति हरिजन निवासी अंबिका फोटो स्टूडिया के सामने, जूना मटन मार्केट, देऊ रोड, पूना महाराष्ट्र
17. विनीता पुत्री प्रभुदास जाति हरिजन निवासी अशोक कॉलोनी, तहसील व जिला जोधपुर
18. विनय पुत्र प्रभुदास जाति हरिजन निवासी नेहरू नगर, हरिजन कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर
19. सावित्री पुत्री रामकिशन जाति हरिजन निवासी गुलाबबाडी रोड, धोलाभाटा तहसील व जिला अजमेर
20. सुमित्रा पुत्री रामकिशन जाति हरिजन निवासी गुलाबबाडी रोड धोलाभाटा तहसील व जिला अजमेर
21. शकुंतला पुत्री रामकिशन जाति हरिजन निवासी खानपुरा रोड सुभाष नगर तहसील व जिला अजमेर
22. राकेश पुत्र मदन सांगेला जाति हरिजन निवासी चर्च के पास, परबतपुरा तहसील व जिला अजमेर
23. कांता पुत्री मोती जाति हरिजन निवासी आबूरोड तहसील व जिला सिरोही
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर
25. पटवार हल्का ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री सी0पी0पाराशर — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
3 श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :–24.11.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 2204, 2206, 2207 अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट की पूर्वज धन्ना, खूबा, हंसा के कब्जेशुदा व खातेदारी की थी जिस पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे है। धन्ना, खूबा, हंसा के फौत होने पर उक्त आराजी उनके वारिसान के नाम अमल दरामद की गई। उक्त आराजी में अनेक खातेदार रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद भी गोपी व चांद का कोई तथाकथित बैयनामा दर्शाते हुए गलत रूप से गोपी पुत्र पीरूजी जाति माली ने अपने पक्ष में दिनांक 23.07.1963 को एक बैयनामा उप पंजीयक के यहां पंजीकृत करवा लिया जबकि वास्तविक रूप से उक्त बैयनामा बिना कब्जे का था। उसके पश्चात गोपी पुत्र पीरू जाति माली ने केतागण पुखराज पुत्र मिलापचंद कौम ओसवाल के पक्ष में दिनांक 30.07.1964 को बैयनामा के आधार पर बैयनामा कर दिया और उसे पंजीकृत करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1

जिला कलक्टर
अजमेर

ने एक विक्रय विक्रय पत्र दिनांक 11.10.82 के आधार पर आराजी खसरा नंबर 2204, 2206, 2207 का अपने पक्ष में बेचानकर्ता पुखराज पुत्र मिलापचंद कौम ओसवाल से खरीद होने के आधार पर एवं उक्त बैयनामें के आधार पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी अजमेर द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 22.07.1985 जो सहायक भू–अभिलेख अधिकारी अजमेर द्वारा स्वीकृत किया गया, के आधार पर स्वयं केतागण के नाम राजस्व अभिलेखों में उक्त नामांतरकरण के आधार पर अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट जो वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज थे, तथाकथित नामांतरकरण जो दिनांक 22.07.1985 को सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, के आधार पर धारा 42 बी के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार अजमेर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उक्त 1985 में स्वीकृत हुए नामांतरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व अभिलेखों में 36 वर्ष पश्चात दर्ज किये जाने के अविधिसम्मत आदेश पारित कर दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 14.07.2021 से असंतुष्ट होकर उक्त अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट 1 की ओर से श्री एन.एस.राजवत अभिभाषक उपस्थित आये। वकील अपीलांट ने पत्रावली में निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 23 तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स है जिनकी तलबी की आवश्यकता नहीं होना बताया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 24 व 25 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की तहसीलदार अजमेर बिना प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नोटिस जारी किये बिना पक्षकार कायम किये निर्णय पारित कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम राजस्व अभिलेखों में विगत 50 वर्षो से बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा था। तहसीलदार अजमेर ने मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया राजस्व अभिलेखो में प्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम दर्ज चला आ रहा था जो काफी समय से फौत हो चुके थे। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है जिसमें से केवल मात्र पूर्वजो में से बाबू पुत्र खूबा ही एक मात्र जीवित है, उक्त को भी पक्षकार नहीं बनाया गया और बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी, तहसीलदार अजमेर के आदेश की पालना में उक्त इंद्राजात परिवर्तित किये गये है और प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में हित निहित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और उक्त आदेश से प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए धारा 96 सीपीसी के तहत इजाजत प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को वर्तमान अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की अपीलान्ट एवं उनके पूर्वाधिकारी का कभी भी प्रकरण में वर्णित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है जिसका

जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/1981 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.1981 से निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट आदेश दिनांक 14.07.2021 से व्यथित व प्रभावित पक्षकार नहीं होने से मूल अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई लोकस स्टेण्डाई निहित नहीं होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमावे। अतः प्रकरण में अपीलांट्स हितबद्ध पक्षकार होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार अजमेर बिना प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नोटिस जारी किये निर्णय पारित कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम राजस्व अभिलेखो में विगत 50 वर्षो से बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा था। तहसीलदार अजमेर ने मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया राजस्व अभिलेखें में प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज चला आ रहा था जो काफी समय से फौत हो चुके थे। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी, अभी जब विपक्षी रेस्पो0 ने स्वयं का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया और मौके पर प्रार्थीगण से विवाद करने विगत 24.05.2022 को आये तो प्रार्थीगण ने स्थानीय जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह अपील जानकारी की दिनांक से अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत की जाने में हुई देरी का पर्याप्त व सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा प्रदान की जाकर अपील गुणावगुण पर निर्मित फरमाये। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकॉर्ड का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपीलांट अभिभाषक ने अपील कथनों को दौहराते हुए बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 2204, 2206, 2207 अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट की पूर्वज धन्ना, खूबा, हंसा के कब्जेशुदा व खातेदारी की थी जिस पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे है। धन्ना, खूबा, हंसा के फौत होने पर उक्त आराजी उनके वारिसान के नाम अमल दरामद की गई। उक्त आराजी में अनेक खातेदार रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद भी गोपी व चांद का कोई तथाकथित बैयनामा दर्शाते हुए गलत रूप से गोपी पुत्र पीरूजी जाति माली ने अपने पक्ष में दिनांक 23.01.1963 को एक बैयनामा उप पंजीयक के यहां पंजीकृत करवा लिया जबकि वास्तविक रूप से उक्त बैयनामा बिना कब्जे का था। उसके पश्चात गोपी पुत्र पीरू जाति माली ने केतागण पुखराज पुत्र मिलापचंद कौम ओसवाल के पक्ष में दिनांक 30.07.1964 को बैयनामा के आधार पर बैयनामा कर दिया और उसे पंजीकृत करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक विक्रय पत्र दिनांक 11.10.82 के आधार पर आराजी खसरा नंबर 2204, 2206, 2207 का अपने पक्ष में बेचानकर्ता पुखराज पुत्र मिलापचंद कौम ओसवाल से खरीद होने के आधार पर एवं उक्त बैयनामें के आधार पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी

जिला कलक्टर
अजमेर

अजमेर द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 22.07.1985 जो सहायक भू–अभिलेख अधिकारी अजमेर द्वारा स्वीकृत किया गया, के आधार पर स्वयं केतागण के नाम राजस्व अभिलेखों में उक्त नामांतरकरण के आधार पर अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट जो वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज थे, तथाकथित नामांतरकरण जो दिनांक 22.07.1985 को सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, के आधार पर धारा 42 बी के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार अजमेर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उक्त 1985 में स्वीकृत हुए नामांतरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व अभिलेखों में 36 वर्ष पश्चात दर्ज किये जाने के अविधिसम्मत आदेश पारित कर दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 14.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा नंबर 2204, 2206, 2207 के प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे थे और उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज चला आ रहा था, इसमें से केवल मात्र बाबू पुत्र खूमा जीवित था बाकि सभी खातेदार फौत हो चुके थे। मरे हुए व्यक्तियों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज था, जिनके वारिसों को सुने बिना ही उनका नाम कलमजन करने के आदेश पारित कर दिये गये, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि सर्वप्रथम जो पक्षकारान राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही निर्णय पारित किया जा सकता था, किन्तु तहसीलदार ने नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी ओर मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध ही निर्णय पारित कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने महत्वपूर्ण नजीर 1984 आरआरडी पेज 111 में ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम के सिद्वान्त की व्याख्या करते हुए पारित किया कि वाद में निहित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये तहसीलदार अजमेर ने अपीलांट जो कि रिकॉर्डेड खातेदार के वारिसान है, को कोई समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया और अचानक पिछले 50 वर्षे से राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड दर्ज चले आ रहे का नाम कलमजन करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी के अपीलांट्स अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग से है उनकी खातेदारी की आराजी किसी भी स्वर्ण जाति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। तहसीलदार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। तहसीलदार अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उनके समक्ष नामांतरकरण संख्या 115 जो दिनांक 22.07.1985 को सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित किया। यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि नामांतरकरण संख्या 115 को स्वीकृत हुए 36 वर्ष हो चुके है। नामातरकरण संख्या 115 का अमलदरामद इसलिये नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसे इंद्राजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरीत थे। जब 36 वर्षो तक अमलदरामद नहीं किया गया था तो उक्त आंधार पर राजस्व अभिलेखों में इंद्राजात दर्ज करने के आदेश पारित नहीं किये जा सकते थे बल्कि यदि कोई अधिकार बनता है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर

जिला कलक्टर
अजमेर

करके ही अधिकार तय कर सकते थे। उक्त विधिक स्थिति नजरअंदाज कर तहसीलदार अजमेर ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत कर अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2021 निरस्त फरमाया जाए।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया गया की अपीलान्ट एवं उनके पूर्वाधिकारी का कभी भी प्रकरण में वर्णित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है जिसका न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/1981 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.1981 से निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट आदेश दिनांक 14.07.2021 से व्यथित व प्रभावित पक्षकार नहीं होने से मूल अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई लोकस स्टेण्डाई निहित नहीं होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमावे। विवादित भूमि पर अपीलान्ट एवं उनके पूर्वाधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.1981 के तहत कभी भी किसी प्रकार से वैध हक अधिकार व आधिपत्य निहित नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट एवं उनके पूर्वाधिकारी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने का कोई युक्तियुक्त व उचित आधार विद्यमान नहीं होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमावे। राजस्व वाद संख्या 52/1981 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.1981 के तहत अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी का विवादित भूमि में कभी भी किसी प्रकार से कोई खातेदारी हक अधिकार व आधिपत्य होना स्वीकार नहीं किया गया है साथ ही तहसीलदार अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 14.07.2021 पारित किये जाने से पूर्व राजस्व एजेन्सी के माध्यम से तलब की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.01.2020 के तहत भी अपीलान्ट का विवादित भूमि पर किसी प्रकार से कोई वास्तविक कब्जा स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व्यथित एवं प्रभावी पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से अपील निरस्त फरमावे। अपीलान्ट के विवादित भूमि पर कभी भी किसी प्रकार के हक अधिकार निहित नहीं होने से तथा सन् 1975 से आज दिवस तक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं उसके विक्रेतागण का निरन्तर खातेदारी हक अधिकार व कब्जा काश्त निहित रहा है जिसको आज दिवस तक अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जाकर अंतिम हो जाने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाये। अपीलान्ट द्वारा उनके पूर्वाधिकारी को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/1981 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.1981 पारित की गई है जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 22.07.1985 विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया है जिन सभी आदेश व निर्णय की जानकारी अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी को दिनांक 30.09.1981 से रही है, परन्तु मूल निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.1981 व उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 22.07.1985 को आज दिवस तक किसी प्रकार से ना तो चुनौती दी गई है ना ही निरस्त करवाया गया है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के तहत पालना आदेश को चुनौती दिये जाने का अपीलान्ट को ना तो विधि के तहत कोई अधिकार निहित करता है तथा ना ही अपीलान्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.1981 में किये गये विवेचन व विश्लेषण के तहत व्यथित व प्रभावी पक्षकार है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किए।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के अपीलांट्स अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग से है उनकी खातेदारी की आराजी किसी भी स्वर्ण जाति के नाम दर्ज

जिला कलक्टर
अजमेर

जिला कलक्टर, अजमेर

नहीं की जा सकती। तहसीलदार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अजमेर द्वारा जो पक्षकारान राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर विवादित आदेश पारित किया गया है, तहसीलदार ने विवादित आदेश जारी करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारो को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी ओर मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध ही निर्णय पारित कर दिया। वादग्रस्त आराजी के अपीलांट्स अनुसूचित जाति वर्ग से है उनकी खातेदारी की आराजी किसी भी स्वर्ण जाति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। तहसीलदार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किये जाने से अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2021 विधिसंवत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर